न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/95/2025

दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. प्रकाशचन्द्र पिता सोहनलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. सत्यनारायण पिता सोहनलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन मृत्तक के बजाय–
   2/1– गीतादेवी व्यास पत्नी सत्यनारायण व्यास जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   2/2– पवन व्यास पिता सत्यनारायण व्यास जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   2/3– अभिमन्यु व्यास पिता सत्यनारायण व्यास जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   2/4– अंकित व्यास पिता सत्यनारायण व्यास जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   2/5– टीना व्यास पिता सत्यनारायण व्यास जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. जगदीशचन्द्र पिता सोहनलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन मृत्तक के बजाय–
   3/1– विभा व्यास पत्नी जगदीशचन्द्र व्यास जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   3/2– रविराज व्यास पिता जगदीशचन्द्र व्यास जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   3/3– शुभम व्यास पिता जगदीशचन्द्र व्यास जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   3/4– पुजा व्यास पिता जगदीशचन्द्र व्यास जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. लक्ष्मीनारायण पिता सोहनलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. कैलाशचन्द्र पिता सोहनलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. राजकुमार पिता सोहनलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. मु0 नर्बदा विधवा सोहनलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर जिला चित्तौड़गढ़।
2. तहसीलदार तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

–प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांक: 30.04.2026

–:निर्णयः–

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया कि मौजा तस्वारिया तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आराजी सं0

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

660, 661, 703 कुल किता 03 कुल रकबा 1.03 हैक्ट0 स्थित है जिसके साबिक आराजी नं0 86/7 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 86/7 त रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 6 बिघा 19 बिस्वा थे। यह कि उक्त साबिक आराजी नं0 वादीगण के स्व0 पिता सोहनलाल के खातेदारी एवं कब्जे की थी व सोहनलाल का इन्तकाल हो गया। वादीगण सोहनलाल के जायज उत्तराधिकारी है सोहनलाल की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

यह कि सेटलमेन्ट विभाग ने उक्त हाल आराजी नं0 660, 661, 703 कुल रकबा 1.03 हैक्ट0 वादीगण के खाते दर्ज की जबकि 6 बिघा 19 बिस्वा का हाल रकबा 1.49 हैक्ट0 के करीब बनता है। सेटलमेन्ट विभाग ने 0.45 हैक्ट0 कमी रकबा वादीगण के खाते दर्ज नही कर आराजी संख्या 704 रकबा 0.41 हैक्ट0 व आराजी संख्या 691 रकबा 0.06 हैक्ट0 बिलानाम सरकार खाते दर्ज कर दिया जो गलत है वादीगण आराजी नं0 691, 704 के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है।

यह कि उक्त विवादीत आराजी संख्या 891, 704 बिलानाम सरकार खाते दर्ज होने से प्रतिवादीगण वादीगण को उनके कब्जे से बेदखल करने पर आमादा है अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है रोके जाने से प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की हानि नही है, नही रोके जाने से वादीगण को अपार क्षति होगी और भविष्य में मुकदमेंबाजी बढेगी।

यह कि पटवारी हल्का ने वादीगण को उक्त विवादीत आराजीयात के कब्जे से बेदखल करने को कहा जिस पर वादीगण ने राजस्व रेकार्ड की नकले दिनांक 26.08.2011 को प्राप्त करने के बाद गलत इन्द्राज का ज्ञान हुआ अतः बिनाय दावा पैदा हुई।

अन्त में प्रार्थना की कि उक्त विवादीत आराजी नं0 704 रकबा 0.41 हैक्ट0 व आ0सं0 691 रकबा 0.06 हैक्ट0 वादीगण के खातेदारी की घोषित करा वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करायी जावें व प्रतिवादीगण बिलानाम सरकार के खातेदारी से खारिज करायें जाने की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादीर फरमाई जावें। वादीगण को प्रतिवादीगण उक्त विवादीत आराजीयात से बेदखल नही करें एवं किसी अन्य को मुन्तकिल नही करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पेरोकार सरकार द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि –

1. वाद पत्र के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार मौजा तस्वारिया तहसील कपासन में आराजी नं0 660 रकबा 0.19 हैक्ट0, आराजी संख्या 661 रकबा 0.19 हैक्ट0, आराजी संख्या 703 रकबा 0.85 हैक्ट0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.03 हैक्ट0 कुल लगानी 3.09 रूपये स्थित होना जिसके क्रमशः साबिक आराजी नं0 86 मी0/7 ज रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, आ0नं0 86 मी0/7 तथा आ0नं0 86/7 त रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा होना मिलान क्षेत्रफल के आधार पर स्वीकार है।

2. वाद पत्र के बिन्दु सं0 2 के अनुसार जमाबन्दी मौजा तस्वारिया सम्वत 2035 से 38 के आधार पर साबिक आराजी नम्बर 86/7 त रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा तथा आराजी नं0 86/7 ज रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वादीगण के पिता सोहनलाल पिता गोरधनलाल व्यास सा0 कपासन के नाम पर गैरखातेदारी में दर्ज होना तथा सोहनलाल की मृत्यु होने पर उक्त आराजीयात के नये नम्बर 660, 661 व 703 होकर वादीगण के नाम जमाबन्दी संवत 2068 से 68 के अनुसार दर्ज रेकार्ड स्वीकार है कब्जे काश्त में होने का साक्ष्य वादीगण स्वयं प्रस्तुत करें।

3. वाद पत्र का बिन्दु संख्या 3 के अनुसार सेटलमेन्ट विभाग द्वारा 660, 661, 703 कुल रकबा 1.03 हैक्ट0 वादीगण के खाते दर्ज किया जाना स्वीकार है एवं 6 बीघा 19 बिस्वा के 1.49 हैक्ट0 बनना भी स्वीकार है किन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा कमी रकबा 0.46 हैक्ट0 आराजी नं0 704 रकबा 0.41 हैक्ट0 व आ0नं0 891 रकबा 0.06 हैक्ट0 बिलानाम सरकार खाते दर्ज कर दिया जाना अस्वीकार है क्योंकि उक्त दोनो आराजी नम्बरान साबिक आराजी नम्बर 86 मीन से बने है जो वादीगण के पिता सोहनलाल की गैरखातेदारी भूमि नही थी जिन पर वादीगण खातेदार घोषित होने के अधिकारी नही है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

4. वाद पत्र का बिन्दु संख्या 4 अस्वीकार है वादीगण द्वारा बिलानाम आराजी नम्बर 691 व 704 पर अपना कब्जा होना अंकित किया है जिसके सम्बन्ध में धारा 91 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना न्याय संगत है।

5. वादपत्र का बिन्दु संख्या 5 अस्वीकार है। दावा मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है।

6. वादपत्र का बिन्दु संख्या 6 का जवाब अपेक्षित नही है।

7. वादपत्र का बिन्दु संख्या 07 कानूनी है जवाब अपेक्षित नहीं है।

8. वाद पत्र का बिन्दु संख्या 8 कानूनी है जवाब अपेक्षित नही है। दावा मियाद बाहर है।

9. वादपत्र का बिन्दु सं0 9 अस्वीकार है, दावा प्रस्तुत करने की धारा 80 (2) जा0दी0 पूर्व स्वीकृति प्राप्त नही की गई है।

10. अतः निवेदन है कि –

(क) प्रस्तुत वाद में वादीगण का दावा निरस्त फरमाया जावें।

(ख) वादीगण से हजा खर्चा दिलाया जावें।

(ग) राजकीय बिलानाम भूमि पर वादीगण द्वारा किये गये नाजायज कब्जे से बेदखल करने के सम्बन्ध में वादीगण की प्रार्थना खारिज कर स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जावें।

तत्पश्चात् निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार है–

1. आया वादीगण कमी रकबा 0.46 हैक्ट0 खाते दर्ज कराने का अधिकारी है?

–जिम्मेवादीगण

2. दादरसी।

साक्ष्यवादी में प्रकाशचन्द्र का शपथ पत्र प्रस्तुत। दस्तावेज प्रदर्श अंकन कराये जो प्रदर्श–1 से लगायत प्रदर्श–5 है। बहस उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है।

<u>तनकी संख्या 01</u> :–

आया वादीगण कमी रकबा 0.46 हैक्ट0 खातेदर्ज कराने का अधिकारी है? इस तनकी को साबित कराये जाने का जिम्मा वादीगण का था। वादी द्वारा हाल आराजी संख्या 691 व 704 से खातेदारी चाहने बाबत निवेदन किया है व उक्त आराजीयात 86 मी0/7 से बने होने का निवेदन किया। पत्रावली व सलंग्न दस्तावेजों के अवलोकन से आराजी संख्या 691 व 704 साबिक आराजी संख्या 86 मीन से बने है जो कि वादीगण के पिता सोहनलाल की गैर खातेदारी भूमि नही थी। वादीगण उक्त तनकी सिद्ध कराने में असफल रहा, अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

वादीगण द्वारा तनकी संख्या 1 सिद्ध कराये जाने में असफल रहने से वादीगण अपना वादपत्र सिद्ध कराने में असफल रहे। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक), कपासन